



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 29.06.2024

**थाना धामपुर पुलिस द्वारा गुम हुए पर्स को बरामद कर महिला को किया सुपुर्द ।**

आज दिनांक 29.06.2024 को श्रीमती इमराना पत्नी अतीक अहमद निवासी मौ0 ईदगाह नई बस्ती थाना कांठ जनपद मुरादाबाद अपने रिस्तेदार को आयुष्मान हॉस्पिटल धामपुर में देखने के लिए आई थी। इस दौरान समय करीब करीब 11.50 बजे श्रीमती इमराना रोडवेज बस से उतरी तथा शीला टाकीज पर केले खरीदे। केले खरीदने के उपरान्त ई-रिक्शा कर हॉस्पिटल ले लिए चल दी तथा अपना छोटा पर्स ई-रिक्शे की सीट पर रख दिया। जब ई-रिक्शा भगवती ट्रेडर्स की दुकान के सामने नौरंगाबाद पहुंची तो श्रीमती इमराना द्वारा अपनी टूटी हुई चप्पल को रिक्शा रुकवाकर जुडवाने लगी और पर्स को चेक किया तो उन्हें पर्स नहीं मिला, जिसमें लगभग 22000/- रू0 थे। इस संबंध में श्रीमती इमराना द्वारा डायल-112 पर सूचना दी कि बाइक सवार लोगो ने उनके पर्स को उठा लिया है।



उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी धामपुर मय पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा भगवती ट्रेडर्स पर लगे कैमरे व आसपास के कैमरो को चेक किया गया तो इमराना उपरोक्त के द्वारा जो सूचना दी गयी थी कि मोटरसाइकिल सवार लोगो ने पर्स उठा लिया है। कैमरा देखने से पता चला कि इमराना के रिक्शे के पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं आ रही है। एक महिला जरूर रिक्शे के पीछे से कुछ उठाते हुये दिखाई दी। जांच में उस महिला का पता किया गया तो महिला श्रीमती विमला देवी पत्नी विजयपाल निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर बिजनौर का होना पाया गया, जो शीला टाकीज से अपने घर नौरंगाबाद जा रही थी जिसे गिरा हुआ पर्स मिला था। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करके श्रीमती इमराना के लगभग 22000/- पूरे मय पर्स दिला दिये गये है। इमराना व इमराना के परिजनों द्वारा धामपुर पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना बढापुर

दिनांक 29.06.2024

**थाना बढापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/22 धारा 420/467/468/471 भादवि में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.12.2022 को वादी श्री शराफत हुसैन पुत्र रहमतुल्ला निवासी मौ0 ठाकुरान कस्बा बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- सेवाराम राजभर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बढापुर 2- मुनेश कुमार तैनाती नगर पंचायत बढापुर द्वारा वादी के साथ धोखाधडी से अनुचित लाभ पाने के लिए पूर्व में मृतका नथिया देवी पत्नी मोखा सिंह का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 279/22 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग की विवेचना को थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर स्थानान्तरित किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में फूल सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी मौहल्ला बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/22 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त फूल सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी मौहल्ला बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

फूल सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी मौहल्ला बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1- व0उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी हरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी सागर सैनी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 29.06.2024

**प्रभारी निरीक्षक नूरपुर को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में ।**

अवगत कराना है कि श्री धीरेन्द्र गंगवार, प्रभारी निरीक्षक थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर को जनपद सम्भल में थानाध्यक्ष धनारी के पद पर नियुक्ति के दौरान पंजीकृत अभियोग को नियमानुसार अधिकृत उ०नि० को आवंटित न कर स्वेच्छाचारिता से हे०का० (प्र०) को आवंटित की गई । उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद संभल द्वारा प्रचलित विभागीय जांच में निरीक्षक श्री धीरेन्द्र गंगवार को दोषी पाते हुए उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-4(1)"ख"(4) के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2024 को परिनिन्दा लेख से दण्डित किया गया है ।

डीजी परिपत्र संख्या-35/2019 दिनांक 07.08.2019 में निहित निर्देशो के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र गंगवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को पुलिस पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर से रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर स्थानान्तरित किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों/दायित्वों के प्रति उदासीनता/शिथिलता न बरते अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 29.06.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323/2024 धारा 147/148/149/323/504/506  
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.06.2024 को वादी श्री विवेक कुमार पुत्र अरूण कुमार निवासी ग्राम नसीरपुर मनसुख थाना चांदपुर बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त विकास पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला साहुवान बिहारी पाठशाला के पास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व उसके 18-20 साथियों द्वारा चांदपुर बस अड्डे पर वादी के साथ गाली गलौच कर डण्डों से हमला कर दिया व जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर मु0अ0सं0 323/24 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि बनाम विकास व 18-20 अन्य पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323/2024 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला साहुवान बिहारी पाठशाला के पास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला साहुवान बिहारी पाठशाला के पास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. आरक्षी 1843 सोनू नागिल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 43 सोमेन्द्र राणा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 29.06.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 324/24 धारा 452/354(ख)/323/506 भादवि में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.06.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- शोएब 2- परवेज पुत्रगण इन्तेजार 3- शेरो द्वारा वादी की बहनों के साथ छेडछाड की गयी तथा उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0



324/24 धारा 452/354(ख)/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 324/24 धारा 452/354(ख)/323/506 भादवि में वांछित अभियुक्त परवेज पुत्र इन्तेजार निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

परवेज पुत्र इन्तेजार निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2-मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी मौ0 मोबिन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 29.06.2024

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 142/2024 धारा 376 डी भादवि व 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.06.2024 वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त दीपित कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने वादी कि पुत्री को कमरे में बन्द कर गलत कार्य किया व अभियुक्तगण 1.पंकज पुत्र चन्द्रभान 2. आकाश पुत्र महेन्द्र व 3.साजन पुत्र सुम्मेर निवासीगण ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने बाहर से कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0



142/2024 धारा 376/120 बी भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट भादवि बनाम दीपित, पंकज, आकाश, साजन उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 376/120 बी भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का लोप कर धारा 376 डी भादवि0 व 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 142/2024 धारा 376 डी भादवि व 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपित कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपित कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 गौरव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3.का0 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 29.06.2024

**थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र ब्रजराज निवासी ग्राम मिठेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित कुमार पुत्र ब्रजराज निवासी ग्राम मिठेपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 678 सतीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली

दिनांक – 29.06.2024

**“ऑपरेशन स्माईल” अभियान के क्रम में थाना मण्डावली पुलिस द्वारा गुमशुदा 09 वर्षीय नाबालिग बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द ।**

### कार्यवाही –

अवगत कराना है कि दिनांक 28.06.2024 को थाना मण्डावली पुलिस को एक बच्चा भागूवाला में घूमता हुआ मिला। पूछने पर बच्चे ने स्वयं को मंडोली दिल्ली एक्सटेंशन, शाहदरा का रहने वाला बताया तथा अपनी उम्र 09 वर्ष बतायी। स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे को अपने साथ थाने पर लाया गया। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह अपने परिजनों को बिना बताये घर से ट्रेन में बैठकर नजीबाबाद आ गया और वहां से पैदल ही चलकर भागूवाला में आकर घूम रहा था। बच्चे द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर उसके परिजनों से वार्ता की गयी तो उसके घर वालों ने बताया कि हमारा बच्चा दिनांक 27.06.2024 को घर के बाहर खेल रहा था जो खेलते हुये अचानक गुम हो गया था, जिसको हमारे द्वारा काफी तलाश किया जा रहा था। थाना मण्डावली पुलिस द्वारा बच्चे के परिजनो को थाने पर बुलाकर बच्चे को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।



### बरामद करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री लाखन लाल थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 2.मु0आरक्षी 81 नवनीत कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 353 पंकज भार्गव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 29.06.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रदीप पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम शेखपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0- 583/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम शहजाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

प्रदीप पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम शेखपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1566 निखिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 29.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 309/2024 धारा 341/354/504 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नाजिम पुत्र शाकिर निवासी ग्राम सब्दलपुर परगना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गाली-गलौच करते हुए अश्लील हरकत की गयी । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 309/2024 धारा 341/354/504 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम नाजिम पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 309/2024 धारा 341/354/504 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र शाकिर निवासी ग्राम सब्दलपुर परगना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिम पुत्र शाकिर निवासी ग्राम सब्दलपुर परगना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 193 राजू दिवाकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. का0 2503 रवि सिमर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।